न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर ।

पीठासीन अधिकारी– सतेन्द्र कुमार, उच्चतर न्यायिक सेवा।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 2500 सन 2026
CNR No. UPSP 01010062682026

श्रीमति मुनेश विधवा शिव कुमार, निवासी ग्राम काजीपुरा, थाना सरसावा, जिला सहारनपुर।
.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0 राज्य। **.....विपक्षी।**

मु0अ0सं0 25/2026
धारा–108, 61(2), 318(4) बी0एन0एस0
थाना–जी0आर0पी0, सहारनपुर।

निस्तारण जमानत प्रार्थना–पत्र

18.06.2026

प्रार्थी/अभियुक्ता **श्रीमति मुनेश** की ओर से उपरोक्त वर्णित अभियोग में जमानत हेतु यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त दिनांक 26.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध हैं।

जमानत प्रार्थनाप के साथ जुलफान पुत्र अली हसन का शपथपत्र दाखिल किया गया है, जिसके अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके अतिरिक्त कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी न्यायालय में लम्बित नहीं है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी रितिक द्वारा थाना हाजा पर इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की गयी कि उसके पिता व ताउ जी 4 भाई हैं, जिसमें उसके पिता शिवकुमार सबसे छोटा भाई है। उसके पिता एवं उसके पिता के भाईयों की गांव में 30 बीघा जमीन थी, जिसको लगभग 2 वर्ष पहले बेचकर उसके पिता न उसके पिता के भाईयों ने 48 बीघा जमीर रावण पुर बुर्जुग में ली थी। उस जमीन को बेचने के बाद वादी के पिता ने घर की मरम्म कराने के लिए एक नूरहसन को अपने घर पर बुलाया था, जिसमें नूरहसन के द्वारा घर की टाईल पत्थर का काम किया गया था। घर में काम करते समय वादी की माता के नूरहसन के साथ अवैध सम्बन्ध हो गए थे, जिसमें नूरहसन व वादी की माता ने आपस में मिलकर योजना बनाकर वादी के पिता को अपनी बातो में फंसाकर जुलाई 2025 में रावनपुर में ली गयी वादी के पिता के हिस्से की 12 बीघा जमीन में से 8 बीघा जमीन को लगभग 42 लाख में बिकवा दिया था, और वादी की माता एवं नूरहसन ने योजना के अनुसार सरसावा में अपने अवैध सम्बन्धो को बिना रोकटोक चलाने के लिए मकान अपने नाम करवा लिया था तथा बचे हुए पैसो में से नूरहसन ने उसकी अपने नाम जमीन ले ली थी। कुछ समय बाद वादी के पिता को नूरहसन एवं वादी की माता के सम्बन्धो की जानकारी हो गयी थी, जिसके चलते वादी के पिता काफी दुखी रहते थे तथा उसी बात को लेकर आए दिन घर में लडाई होती रहती थी। वादी की माता अक्सर सरसावा में रहने के लिए लडती व दवाब बनाती थी। वादी के पिता उसे गांव में रहने के लिए कहता था। वादी के पिता ने कई बार नूरहसन को पैसे व जमीन वापिस करने के लिए कहा तो नूरहसन व वादी की माता ने उस बात पर टाल मटोल कर दिया, और दोनो ने मिलकर वादी के पिता का शोषण भी किया, जिस कारण वादी के पिता अत्यधिक परेशान चल रहे थे, और इसी कारण वादी के पिता दुखी होकर दिनांक 01.02.2026 को ट्रेन के सामने आ गए, और उनकी मृत्यु हो गयी। वादी के माता एवं नूरहसन के अवैध सम्बन्धो व जमीन एवं पैसो की बात वादी के सामने वादी के पिता ने वादी के ताउ को भी बतायी थी। अतः कानूनी कार्यवाही किए जाने की याचना की गयी।

वादी की उक्त तहरीर के आधार पर थाना पर यह अभियोग अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 108, 61(2), 318(4) बी0एन0एस0, थाना जी0आर0पी0 पर पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

प्रार्थी/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना गया।

प्रार्थी/अभियुक्ता की ओर से मुख्य रूप से जमानत प्रार्थनापत्र में वर्णित अभिकथनो का समर्थन करते हुए यह बहस की गई है कि अभियुक्ता के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं का कोई अपराध नहीं बनता है। प्रार्थिया का उक्त घटना से किसी प्रकार का कोई मतलब वास्ता नही है। प्रार्थिया ने किसी को आत्म हत्या करने के लिए नही उकसाया है। प्रथम

सूचना रिपोर्ट 22 दिन के विलम्ब से दर्ज करायी गयी है, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। प्रार्थिया मृतक की पत्नी है तथा प्रार्थिया के पुत्र ऋतिक के द्वारा झूठा आरोप लगाया गया है, जबकि प्रार्थिया के विरूद्ध कोई भी साक्ष्य या सबूत नही मिला है। उक्त मुकदमें में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। प्रार्थिया का कोई आपराधिक इतिहास नही है। प्रार्थिया दिनांक 26.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। उक्त आधार पर अभियुक्ता की ओर से उसे इस मामले में जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए तर्क किया गया है कि अभियुक्ता द्वारा आपराधिक षडयंत्र के तहत वादी के पिता शिवकुमार के साथ धोखाधडी कर आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने जैसा गम्भीर अपराध कारित किये जाने के कारण, शिवकुमार द्वारा आत्महत्या की गयी है। जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

थाने से प्राप्त आख्या एवं केस डायरी का अवलोकन किया। प्रस्तुत मामले में वादी द्वारा आवेदक/अभियुक्ता, जो कि वादी की माता है, के अवैध सम्बन्ध सहअभियुक्त नूरहसन से होने के कारण वादी के पिता शिवकुमार को मानसिक तनाव मे होने तथा अभियुक्तगण द्वारा आपराधिक षड्यन्त्र के तहत वादी के पिता शिवकुमार के साथ धोखाधडी कर वादी के पिता के हिस्से की 12 बीघा जमीन में से 8 बीघा जमीन को लगभग 42 लाख में बिकवा उक्त धनराशि से सरसावा में मकान अपने नाम करवाये जाने से क्षुब्ध एवं उत्प्रेरित होकर शिवकुमार द्वारा आत्महत्या किए जाने के सम्बन्ध में वादी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है।

केस डायरी पर अंकित वादी **रितिक** द्वारा अपने बयान में प्रथम सूचना रिपोर्ट के कथनो का समर्थन करते हुए, आवेदक/अभियुक्ता का सहअभियुक्त नूरहसन से अवैध सम्बन्ध होने, अभियुक्तगण द्वारा योजनाबद्ध तरीके से उसके पिता से 8 बीघा जमीन विक्रय कराकर प्राप्त धनराशि से सरसावा में अभियुक्ता/वादी की माता के नाम मकान क्रय कराने, आवेदक/अभियुक्ता एवं सहअभियुक्त नूरहसन के अवैध सम्बन्धों की जानकारी उसके पिता को होने पर इस बात को लेकर उसके माता–पिता के मध्य विवाद रहने, सहअभियुक्त नूरहसन द्वारा कई बार उसके पिता से पैसे लेने तथा अभियुक्ता द्वारा उसके पिता पर सरसावा में रहने के लिए दबाव बनाये जाने से क्षुब्ध होकर उसके पिता द्वारा ट्रेन से कटकर आत्महत्या किए जाने का कथन किया गया है।

केस डायरी पर उपलब्ध मृतक का पंचनामा में अंकित राय पंचान के अनुसार मृतक शिवकुमार की मृत्यु ट्रेन की चपेट में आकर आई चोटो के कारण होना अभिलिखित है। केस डायरी पर उपलब्ध मृतक की पोस्टमार्टम आख्यानुसार मृतक के शरीर पर मृत्यु पूर्व चोटो में उसकी गर्दन, दांयी कोहनी, बांये घुटने पर क्रशड एवं एम्पयूटेशन की चोटे एवं शरीर के लगभग सभी अंगो पर मल्टीपल क्रशड चोटे एवं अन्डरलाईन फ्रैक्चर होना, मृतक की मृत्यु का कारण **Died due to shock and haemorrhage as a result of antemortem injuries** होना तथा रसायनिक परीक्षण हेतु विसरा सुरक्षित किया जाना अभिलिखित है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौ0 का तर्क है कि केस डायरी पर संकलित साक्ष्य से आवेदक/अभियुक्ता की कथित अपराध में संलिप्तता प्रथम दृष्ट्या पाते हुए, विवेचक द्वारा विवेचनोपरान्त आवेदक/अभियुक्ता के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। आवेदक/अभियुक्ता द्वारा कारित कथित अपराध गम्भीर प्रकृति का है तथा अभियुक्ता को जमानत प्रदान किये जाने की दशा में उसके द्वारा साक्ष्य को प्रभावित किये जाने की सम्भावना है। सहअभियुक्त नूरहसन का जमानत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय द्वारा दिनांक 24.03.2026 को निरस्त किया जा चुका है।

अतः मामले के समस्त तथ्य, परिस्थितियो एवं कारित अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुण दोष पर बिना कोई विचार किये प्रस्तुत मामले में अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्ता **श्रीमति मुनेश** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः–18.06.2026

(सतेन्द्र कुमार)
सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर।

J.O. CODE- UP 1891